



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1264]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2009/श्रावण 21, 1931

No. 1264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2009/SRAVANA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2009

(आयकर)

का.आ. 2106(अ).—जबकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवर्चन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के मध्य दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा अभिसमय, उपर्युक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनुसार उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए उनके अपने कानून के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा होने पर दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा प्रत्येक को अधिसूचनाएं जारी करने पर 1 अगस्त, 1994 को लागू किया गया है;

और जबकि उक्त अभिसमय को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 681(अ) दिनांक 7 सितम्बर, 1994 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसे अधिसूचना सं. का.आ. 650(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2000 द्वारा संशोधित किया गया था;

और जबकि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के खंड (क) के उप-खंड (iii) में किसी सविदाकारी राज्य में व्याज, पर कर से छूट की व्यवस्था है जिसमें यह उद्भूत हुआ है, बशर्ते कि यह किसी अन्य संस्थान द्वारा व्युत्पन्न अथवा हितकारी रूप से स्वामित्व प्राप्त हो जिस पर सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो;

2929 GI/2009

और जबकि भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार दोनों ही, अब उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट संस्थानों की सूची में "एजेंसी फ्रेंकाइज डि डेवेलपमेंट" को शामिल करने के लिए सहमत हो गई है;

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अनुबंध में, अभिसमय के अनुच्छेद 12 में, पैराग्राफ 3 में, खंड (क) में उप-खंड (ii) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) भारत के मामले में "भारतीय रिजर्व बैंक" और फ्रांस के मामले में "बैंक्यू डी फ्रांस" और "एजेंसी फ्रेंकाइज डि डेवेलपमेंट"; अथवा"

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 61/2009/फा. सं. 500/386/2008-वि.क.प्र-1]

कमलेश सी. वार्णोय, निदेशक

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 681(अ) दिनांक 7 सितम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इसमें का.आ. 650(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2000 के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2009

(Income-tax)

S.O. 2106(E).—Whereas the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the French Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital had come into force on the 1st day of August, 1994, on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their law for bringing into force of the said Convention in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

And whereas, the said Convention was notified by the Central Government under Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G. S. R. 681 (E), dated the 7th September, 1994 and amended by notification number S.O. 650(E), dated the 10th July, 2000.

And whereas sub-clause (iii) of clause (a) of paragraph 3 of Article 12 of the said Convention provides for exemption of interest from tax in the Contracting State in which it arises provided it is derived and beneficially owned by any other institution as may be agreed from time to time

between the competent authorities of the Contracting States;

And whereas both the Government of Republic of India and Government of the French Republic have now agreed to include Agence Francaise de Developpement in the list of institutions specified in clause (a) of paragraph 3 of Article 12 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that the following amendment shall be made in the said notification, namely:—

In the said notification, in the Annexure, in Article 12 of the Convention, in paragraph 3, in clause (a), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(ii) the “Reserve Bank of India” in the case of India and the “Banque de France” and “Agence Francaise de Developpement” in the case of France; or”

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 6/2009/F. No. 500/386/2008-FTD-I]

KAMLESH C. VARSHNEY, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 681(E), dated the 7th September, 1994 and subsequently amended by number S.O 650(E), dated the 10th July, 2000.